प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और III में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त की जांच से उजागर मामलों पर टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

3. अध्याय II में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में उजागर हुए निष्कर्ष समाविष्ट हैं और अध्याय IV में एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा शहरी स्थानीय निकायों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा में उजागर हुए निष्कर्ष समाविष्ट हैं।

4. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर हुए महत्वपूर्ण मामलें समाविष्ट हैं। सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से उजागर हुए बिन्दुओं को सम्मिलित करने वाली प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए जाते हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से है जो वर्षों 2010-12 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहां कहीं आवश्यक था, 2010-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलें भी शामिल किए गए हैं।